राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

माननीय उपाध्यक्ष कार्यालय

फाइल संख्या - . NCBC/DO/2019/133-VC

सुनवाई की तिथि – 09.07.2020

***

श्रीमति ललिता रानी पत्नी स्व० श्री सुरेश तोमर, निवासी 207, रामनगर, गाजियाबाद के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में माननीय उपाध्यक्ष डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष कोर्ट रूम, ग्राउंड फ्लोर, त्रिकूट -1, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066 में दिनांक 09.07.2020. समय 14:00 बजे सुनवाई नियत की गयी |

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

1. डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति, माननीय उपाध्यक्ष महोदय
2. श्री संदीप कुमार, निजी सचिव मा0 उपाध्यक्ष
3. श्री बी. के . पति, उप सचिव
4. राजुल रायकवार, अनुसंधान अधिकारी
5. राजशी पटवारी, अनुसंधान अन्वेषक

आयोग के समक्ष उपस्थिति हेतु अपेक्षित अधिकारीगण:-

1. जिलाधिकारी, गाज़ियाबाद

उपस्थित पक्षगण :-

1. श्रीमति ललिता रानी
2. श्री विकास तोमर
3. श्री विशाल तोमर, पुत्र श्रीमति ललिता रानी

उपस्थित अधिकारीगण :-

1. श्री अभिषेक शाही, नायाब तहसीलदार

संलग्न :-

1. श्रीमति ललिता रानी द्वारा प्रेषित शिकायत पत्र |
2. प्रेषित जाँच आख्या |

दिनांक 22.11.2019 की पूर्व सुनवाई / जाँच का विवरण :-

आवेदक श्रीमती ललिता रानी द्वारा लगाये गए आरोपः-

उपरोक्त विषयक आवेदिका श्रीमति ललिता रानी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम शाहपुर बम्हेटा खसरा न. 605/2 में से 0-13-15 रकबा भूमि का उत्तर प्रदेश राजस्व एक्ट की धारा-24 के अंतर्गत सीमांकन की कार्यवाही हेतु दिनांक 14.08.2019 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पैमाइश करके सीमांकन करने के निर्देश जारी किये गए थे | लेकिन अभी तक राजस्व निरीक्षक व लेखपाल द्वारा पैमाइश की गयी लेकिन अभी तक सीमांकन की रिपोर्ट दाखिल नहीं की गयी | आवेदिका श्रीमती ललिता रानी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में देवेन्द्र यादव पुत्र श्री त्रिलोक चंद व सत्यपाल यादव पुत्र श्री तारीफ ग्रामवासी द्वारा आवेदक की चिन्हित भूमि पर एक मकान व एक ने चार दीवारी करके अवैध कब्ज़ा किया हुआ है | तत्कालीन लेखपाल श्री राम सिंह विरदि ने छेला पुत्र उदयराम ग्रामवासी प्रशांत राज शर्मा को आवेदक की भूमि पर अवैध कब्ज़ा कराया गया था जिनके फोटो आवेदक ने मा० उच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत किये थे | आवेदक द्वारा मा० जिलाधिकारी व उपजिलाधिकारी को कई बार अवगत कराया गया लेकिन कोई सख्त कार्यवाही नहीं की गयी | जिसमे भू-माफिया सत्यप्रकाश यादव पुत्र श्री तारीफ़ व प्रशांत शर्मा द्वारा एक झूंठा प्रार्थना पत्र उपजिलाधिकारी को भेजकर उपर्युक्त भूमि की सीमांकन की कार्यवाही को रुकवा दिया गया | आवेदिका श्रीमती ललिता रानी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पूर्व में उपजिलाधिकारी (सदर) गाजियाबाद ने दिनांक 24.04.2000 को स्वयं मौके स्थल पर खड़े होकर करायी गयी पैमाइश जाँच रिपोर्ट मा० उच्च न्यायालय में प्रतिवाद द्वारा जवाब दाखिल किया गया था, उसमे आवेदकगण की ग्राम के ख०न० -991-577-578 के खातेदारो के कब्जे में आवेदक की 0-13-15 रकबा भूमि पर अवैध कब्ज़ा है | सीमांकन के उपरांत जिस भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना है वह सीमांकन किया जाना है | मा० उच्च न्यायालय के दिनांक 06.12.2018 के अनुपालन में | आवेदिका श्रीमती ललिता रानी द्वारा अनुरोध किया गया कि वाद संख्या –टी-201911280/02267 आवेदक श्रीमती ललिता रानी बनाम राज्य सरकार व नगर निगम, गाजियाबाद को धारा-24 के अंतर्गत ग्राम शाहपुर बम्हेटा के ख०न०.605/2 में से आवेदक की 0-13-15 रकबा भूमि का स्पष्ट रूप से सीमांकन कराने हेतु क्षेत्रीय लेखपाल व् राजस्व निरीक्षक द्वारा निष्पक्ष पैमाइश की रिपोर्ट लगाकर कब्ज़ा दिलाने का कृपा करे | आवेदिका श्रीमती ललिता द्वारा सुनवाई के दौरान यह भी कथन प्रस्तुत किये गए कि मुझ प्रार्थी द्वारा उपजिलाधिकारी न्यायालय में पक्ष नहीं रखा गया, जिसका कारण उपजिलाधिकारी न्यायालय द्वारा प्रकरण से सम्बंधित पत्रावली/दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गए है |

<u>दिनांक 22.11.2019 में नियत पूर्व सुनवाई के दौरान प्राप्त तथ्य एवं निष्कर्ष :-</u>

जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण में पत्र संख्या 347/डीएम/2019 दिनांक जुलाई 2019 द्वारा पैमाइश हेतु नियमानुसार अन्य लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक को निर्देशित किया गया था | प्रकरण की जाँच प्रचलित है | नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण वर्तमान में उपजिलाधिकारी, गाजियाबाद के न्यायालय में विचाराधीन है | उपजिलाधिकारी, गाजियाबाद नगर निगम

द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय आयोग के आदेश अनुसार उक्त प्रकरण में नियमनुसार अग्रतर कार्यवाही में तेजी लाते हुए की जाएगी |

उक्त प्रकरण में पूर्व सुनवाई के दौरान माननीय आयोग द्वारा अपेक्षित किया गया कि आवेदिका श्रीमती ललिता रानी को उपजिलाधिकारी न्यायालय में पत्रावली/दस्तावेज के अभाव में नहीं सुना गया तथा आवेदिका श्रीमती ललिता रानी के पक्ष को सुनकर पुनः जाँच करते हुए, गुण दोष के आधार पर निस्तारित कर आयोग को प्रकरण की स्थिति / रिपोर्ट से 15 कार्यदिवसो में अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे |

<u>सुनवाई के दौरान हुई चर्चा का विस्तृत विवरण:-</u>

<u>शिकायतकर्ता, श्री विकास तोमर पुत्र श्रीमति ललिता रानी:</u>

आयोग में उपस्थित श्री अभिषेक शाही, नायाब तहसीलदार , गाज़ियाबाद को हमारे मामले की जानकारी नहीं है। हमारे मामले की सम्पूर्ण जानकारी एसडीएम महोदय को है।

<u>माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:</u>

पिछली सुनवाई में एसडीएम, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त आए थे । और उस समय यह तय हुआ था की जमीन की पैमाइश करके प्रार्थी को जमीन का कब्ज़ा दिलाया जाएगा।

<u>नायाब तहसीलदार, श्री अभिषेक शाही:</u>

दिनांक 21-07-2019 को ही धारा 24 (Demarcation clause) के अंतर्गत पैमाइश करने के एसडीएम कोर्ट से आदेश हो गए थे । नक़्शे के अनुसार इनकी जमीन को चिन्हित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वहां पहले से ही सड़क और मकान बने हुए है। उसकी एक कापी हम आप के सामने प्रस्तुत कर देते है।

<u>शिकायतकर्ता, श्री विकास तोमर पुत्र श्रीमति ललिता रानी:</u>

यह जिस कोर्ट केस की बात कर रहे है वो पहले की है, अभी हम ने जब इनसे जानकारी लेनी चाही तो इनके पास कोई जानकारी नहीं है।

<u>माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:</u>

आप यह कब की आख्या बता रहे है?

<u>शिकायतकर्ता, श्री विकास तोमर पुत्र श्रीमति ललिता रानी:</u>

वर्तमान समय मे इनके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पिछली सुनवाई मे प्रस्तुत नहीं की गई थी । हमारे द्वारा पूरे दस्तावेजों की जानकारी एसडीएम महोदय के पास दी जा चुकी है।

<u>माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:</u>

यह आख्या 21-06-2019 की है जबकि पिछली सुनवाई 22-11-2019 में हुई थी। एक और तारीख दे दी जाए सुनवाई के लिए और जिलाधिकारी को बुलाया जाए।

तथ्य एवं निष्कर्ष:-

उक्त प्रकरण में प्राप्त अभिलेखों के अवलोकन एवं परीक्षणोंपरांत आयोग को यह प्रतीत होता है कि प्रकरण के निस्तारण में निम्नलिखित प्रश्नों का मय-अभिलेख स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित होगा |

1. खसरा संख्या 605 से सम्बंधित समस्त क्रय –विक्रय पत्र, अधिग्रहण, नक़्शे व अन्य सम्बंधित समस्त अभिलेखों की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे |
2. श्री प्रशांत तिवारी, उप जिलामजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या में अवगत कराया गया कि खतौनी खाता संख्या 3637 खसरा संख्या 605/1 रकबा 0.1260 है0 बंजर व खाता नंबर 2710 खसरा नंबर 605/2 रकबा 0.1730 है0 में ललित रानी व संतोष देवी के नाम व खाता नंबर 3645 के खसरा नंबर 605/3 रकबा 0.850 पर रास्ता अंकित है | विभाजन एवं उपविभाजन से सम्बंधित अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे |
3. उक्त खसरा संख्या 605 में मौके पर गाँव का मुख्य मार्ग गतिमान है, कैसे सुनिश्चित किया गया कि वर्तमान रास्ता खतौनी खाता संख्या 3637 खसरा संख्या 605/1 रकबा 0.1260 है0 बंजर व खाता नंबर 2710 खसरा नंबर 605/2 रकबा 0.1730 है0 में ललित रानी व संतोष देवी को अतिक्रमित नहीं करता | साक्ष्यो सहित स्पष्टीकरण दें |
4. सम्बंधित खसरे/ग्राम से सम्बंधित राजस्व संहिता की धारा 20 के अनुपालन में कार्यवाहियों की वर्तमान स्थिति व रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे |

उक्त प्रकरण के निस्तारण के क्रम में आयोग द्वारा आपेक्षित स्पष्ट एवं साक्ष्यो सहित बिन्दुवार आख्या दिनांक 21.09.2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे |

(डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति)
माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(जे. रविशंकर)
अवर सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(संदीप कुमार)
निजी सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग